न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षेत्र) मैनपुरी।

<u>सत्र परीक्षण संख्या–98/2012</u>

राज्य बनाम बीटू उर्फ अभयप्रताप आदि

<u>आदेश</u>

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण बीटू उर्फ अभयप्रताप व पप्पू उर्फ विजयपाल मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उपस्थित। अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप के बिन्दु पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अभियोजन कथानक प्रस्तुत करते हुए उन सभी साक्ष्यों का वर्णन किया है जिसके माध्यम से वह अभियुक्तगण के विरूद्व लगाये गये आरोप को साबित करने की प्रस्थापना करते है।

पत्रावली उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्व धारा 398,401 भा0 दं0सं0 के तहत् दण्डनीय अपराध का आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त व सम्यक् साक्ष्य उपलब्ध है। अतः अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध उक्त धाराओं में आरोप विरचित करके सुनाया व समझाया गया । अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण चाहा।

पत्रावली दिनॉक 04.01.2023 को अभियोजन साक्ष्य हेतु पेश हो।

(पूनम राजपूत)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(द0प्र0क्षेत्र) मैनपुरी।

<u>दिनॉक :17.12.2022</u>

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षेत्र) मैनपुरी।

<u>सत्र परीक्षण संख्या–98/2012</u>

राज्य बनाम बीटू उर्फ अभयप्रताप आदि

<u>आरोप</u>

मैं, पूनम राजपूत, अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षेत्र) मैनपुरी आप बीटू उर्फ अभयप्रताप व पप्पू उर्फ विजयपाल को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ :–

1. यह कि दिनांक 10.10.2012 को समय 2.50 एम.एम. वस्थान टी.टी.रोड नगला जीसुख के पास अंतर्गत थाना विछ्वॉ जिला मैनपुरी आप लोगों को घातक आयुधों से सज्जित होकर सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर टाटा स्पेशियो नं0यू.पी.82जे–8746 से एक अज्ञात ट्रक के पीछे–पीछे चलकर ट्रक का तिरपाल काटकर लूट का प्रयत्न करते हुए थाना इलाका पुलिस द्वारा आपको गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार आपने भा0दं0सं0 की धारा 398 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2. यह कि उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपको थाना इलाका पुलिस द्वारा टाटा स्पेशियो नं0यू.पी.82जे–8746 पर अन्य अभियुक्तों के साथ अभ्यासतः चोरी करने के लिए एक टोली बनाकर जी.टी. रोड पर घूमते–फिरते हुए एवं लूट का प्रयत्न करते हुए गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार आपने भा0दं0सं0 की धारा 401 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

अतः एतद्द्वारा आप अभियुक्तगण को निर्देशित किया जाता है कि आपके विरूद्ध उक्त आरोप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

(पूनम राजपूत)
<u>दिनॉक :17.12..2022</u> अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(द0प्र0क्षेत्र) मैनपुरी।

उक्त आरोप अभियुक्तगण को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्तगण ने इंकार किया और परीक्षण चाहा।

(पूनम राजपूत)
<u>दिनॉक :17.12.2022</u> अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(द0प्र0क्षेत्र),मैनपुरी।